न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 50 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 189)	28.08.2023	14.10.2024

हरिराज सिंह आ. गजराज सिंह जाति राजपूत,
निवासी ग्राम ऐबरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी।

— अपीलांट

बनाम

1. कालूलाल आ. लक्ष्मण जाति मीणा निवासी ऐबरा तह. रायथल
2. नन्दकिशोर आ. लक्ष्मण जाति मीणा निवासी ऐबरा तह. रायथल
3. बृजमोहन आ. लक्ष्मण जाति मीणा निवासी ऐबरा तह. रायथल
4. श्रीमती कमलेशबाई पुत्री लक्ष्मण मीणा निवासी ऐबरा तह.रायथल
5. श्रीमती धोलीबाई विधवा लक्ष्मण मीणा निवासी ऐबरा तह.रायथल
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी

— रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 23 सिलिंग एक्ट

उपस्थित—
अपीलांट की ओर से रमेश जैन एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री विनय कुमार सक्सैना एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने सिलिंग सरप्लस भूमि आवंटन दिनांक 04.11.1977 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान कृषि जोतों अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें खसरा संख्या 104 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा का आवंटन दिनांक 04.11.1977 को चुनौती दी गई है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 50/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/189 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. की ओर से दिनांक 05.08.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन कमेटी द्वारा कोरम पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी खसरा सं. 104 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा का आवंटन लक्ष्मण आ. जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को किया गया, जो कानून व तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटी ने अपने खाते की भूमि एवं संयुक्त परिवार के खाते की भूमि का उल्लेख आवंटन प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखता है, इस प्रकार तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। आवंटन से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा जारी नहीं की गई। भूमिहीन काश्तकारों की एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार नहीं की गई। आवंटित भूमि काश्त योग्य नहीं होने से आवंटी लक्ष्मण ने उक्त भूमि पर कब्जा लेने से इन्कार कर दिया था एवं रकम भी जमा नहीं करवायी थी। आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात से अब तक आवंटी लक्ष्मण का एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी ने प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष भूमि काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है, इस कारण उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर होकर नदी व अन्य खेतों पर जाने का रास्ता है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात से वर्ष 2022 तक राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी, कई बार नोटिस देने के उपरान्त भी आवंटी व उसके उत्तराधिकारियों ने न तो कब्जा लिया और न ही रकम जमा करवायी। इसके उपरान्त भी तहसीलदार बून्दी ने बिना जांच किये दिनांक 01.09.2022 को सिवायचक से गैर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दे दिया, जो कानून विरूद्ध है। अपीलांट को उक्त आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 13.07.2023 को रेस्पो.सं.1 लगायत 3 मौके पर आये तथा उक्त भूमि पर बने रास्ते में अवरोध पैदा करने लगे तथा कहा कि यह जमीन हमारे आवंटन है। तब अपीलांट ने दिनांक 14.07.2023 को बून्दी आकर समस्त तथ्यों की जानकारी की तथा राजस्व रेकार्ड की नकलों का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकलें दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त होने पर अपील अवधि मध्य पेश की गई है। विलम्ब क्षमा किये जाने के लिए प्रार्थना

जिला कलेक्टर; बून्दी

पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरटी 2023(1) पेज 272, आरआरडी 2002 पेज 1, आरआरडी 1996 पेज 18, आरआरडी 2001 पेज 465, आरआरडी 1998 पेज 218 एवं एआरआर 2000 पेज 22 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार फरमाई जाकर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 खारिज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट द्वारा आवंटन दिनांक 04.11.1977 के विरूद्ध यह अपील वर्ष 2023 में प्रस्तुत की है, जो 46 वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने से प्रकटतया ही मियाद बाहर है और मियाद के बिन्दू पर ही खारिज होने योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि रेस्पो. 1 लगायत 3 उक्त भूमि पर दिनांक 13.07.2023 को आये और भूमि पर बने हुये रास्ते में अवरोध पैदा करने लगे, यह तथ्य असत्य एवं निर्मूल है क्योंकि आवंटित भूमि पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अपीलांट को प्रारम्भ से ही आवंटन की जानकारी है। अपीलांट ने वर्ष 1977 से लेकर दिनांक 13.7.23 तक के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस कारण अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. ने आगे कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील सिलिंग एक्ट की धारा 23 के तहत प्रस्तुत की है जबकि धारा 23 में पीडित व्यक्ति ही अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमो में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस प्रकार से आवंटन से पीडित पक्षकार है ? इसके साथ अपीलांट ने धारा 96 जा0दी0 के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस कारण अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में यह अपील पोषनीयता के स्तर पर ही खारिज होने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो. ने आगे यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपने बहस के तर्कों में आपत्ति जताई थी कि आवंटन के समय कोरम पूरा नहीं था उनका तथ्य असत्य है। आवंटन परामर्शदात्री समिति के आदेश में माननीय विधायक, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर है। इस प्रकार कोरम पूर्ण है। द्वितीय अपीलांट का यह तर्क भी रहा है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा आवंटी ने कब्जा लेने से भी इंकार कर दिया था। यह तथ्य भी असत्य है, आवंटी लक्ष्मण मीणा ने आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था। दखलनामा में यह इबारत बतायी गयी है कि आवंटी ने कब्जा लेने से इंकार किया। उसके नीचे जो हस्ताक्षर अंकित है वह फर्जी है क्योंकि आवंटी लक्ष्मण हस्ताक्षर करना नहीं जानता है, उसने भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पर अपना अंगूठा निशानी लगाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवंटी हस्ताक्षर करना नहीं जानता है। आवंटी को आवंटित भूमि से वंचित करने के उद्देश्य से बाद में यह ईबारत अन्य किसी व्यक्ति की राईटिंग

जिला कलक्टर, बून्दी

से जोडी गयी है। अपीलांट द्वारा इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष भूमि पर आवंटी ने काश्त नहीं की हो। वर्तमान में उक्त भूमि पर आवंटी के पुत्र, पुत्री एवं विधवा काबिज है जो सन् 2023 एवं 2024 की खसरा गिरदावरी से पूर्णतः प्रमाणित है। सन् 2023 में उडद की फसल बोई गयी थी तथा सन् 2024 में गेहूँ की फसल बोकर प्राप्त की गयी है। आवंटी के उत्तराधिकारियों द्वारा आवंटन की रकम जमा करवा दी गयी और रकम जमा करवाने के पश्चात उनके नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर नामान्तरकरण खोला जा चुका है। उक्त नामान्तरकरण से भी यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार पूर्ण नियमों की पालना करते हुये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति आवंटी लक्ष्मण को भूमि का आवंटन दिनांक 04.11.1977 को किया है और उसके पश्चात आवंटी लक्ष्मण एवं आवंटी की सन् 1992 में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट द्वारा इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त कराना न्याय का मखौल उड़ाना ही साबित होगा, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1994 सु0कोर्ट पेज 1128, 2003 आरआरडी पेज 237, धारा 23 सिलिंग एक्ट की नजीरें पेश कर अपील सारहीन होना बताते हुये इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.1977 की दिनांक 13.07.2023 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित करते हुये राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त कर दिनांक 22.08.2023 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि आवंटी लक्ष्मण आ.जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम नयागांव में दिनांक 04.11.1977 को ग्राम ऐबरा में स्थित आराजी खसरा सं. 104 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा भूमि आवंटन किया गया था। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर आपत्ति की गई कि उक्त आवंटन बिना कोरम किया गया है। आंवटन पत्रावली के अवलोकन

जिला कलेक्टर, बून्दी

से स्पष्ट है कि आवंटन आदेश दिनांक 04.11.77 विधायक, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के कोरम से जारी हुआ है। अपीलांट की दूसरी आपत्ति है कि आवंटी ने अपने खाते की भूमि को छिपाकर आवंटन करवाया है। आवंटन आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व उसके परिवार के पास 10 बीघा भूमि होना अंकित किया है। अपीलांट की अन्य आपत्ति रही कि आवंटी ने आवंटन के बाद भूमि पर कब्जा लेने से इन्कार कर दिया था। दखलनामा पर ऐसा अंकन है जिस पर लक्ष्मणलाल के हस्ताक्षर अंकित है किन्तु रेस्पो. का कथन है कि आवंटी लक्ष्मण हस्ताक्षर नहीं करता अपितु वह अंगूठा निशानी लगाता है, जो आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात से अब तक आवंटी एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि पर होकर नदी व अन्य खेतों पर जाने का रास्ता है। अपीलांट द्वारा वर्तमान में आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने एवं रास्ता विद्यमान होने बाबत प्रकट तथ्यों के संबंध मे मौका जांच आवश्यक है।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 2070 के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी खसरा सख्या 1156/104 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम ऐबरा ''पड़त'' दर्ज रेकार्ड है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटी गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में आवंटी गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना के संदर्भ में मौका जांच करवाये जाने के बिन्दू पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश प्रदान किये जाते है कि आराजी खसरा सख्या 1156/104 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम ऐबरा के गैर खातेदारान द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं? इस संबंध में वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकार्ड एवं मौका जांच की जावें। यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी